

वात्सल्य योजना

चर्चा में क्यों?

15 सितंबर, 2021 से जयपुर में देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को पारिवारिक वातावरण में पालन-पोषण एवं देखरेख सुनिश्चित करने हेतु ज़िला बाल संरक्षण इकाई, जयपुर द्वारा राजस्थान सरकार वात्सल्य योजना का क्रियान्वयन शुरू किया गया।

प्रमुख बिंदु

- ज़िला बाल संरक्षण इकाई के सहायक नदिशक रोहति जैन ने बताया कि जिले में इस योजना के तहत कशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत बच्चों का पारिवारिक वातावरण में पालन-पोषण एवं देखरेख करने के इच्छुक भावी पोषक माता-पिता को चिन्हित करने के लिये आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गए हैं।
- कोई भी इच्छुक भावी पोषक माता-पिता द्वारा कार्यालय सहायक नदिशक, ज़िला बाल संरक्षण इकाई, जयपुर को आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। पोषक माता-पिता के माध्यम से कशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2(14) में परिभाषित देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को अस्थाई पारिवारिक देखरेख (दत्तक ग्रहण से अलग) उपलब्ध कराई जाएगी।
- वात्सल्य योजना के तहत पोषक माता-पिता हेतु योग्यता नमिनानुसार है-
 - एक व्यक्ति (महिला या पुरुष) की स्थिति में न्यूनतम आयु 25 वर्ष तथा अधिकतम आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये, भावी पोषक माता-पिता का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिये, एकल पुरुष किसी बालिका को पालन-पोषण देखरेख में लेने के पात्र नहीं होंगे।
 - भावी पोषक माता-पिता निर्धारित आवेदन-पत्र के साथ आयु संबंधित प्रमाण-पत्र, नविस प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, आयकर रटिर्न का प्रतचित्तीय प्रमाण-पत्र, पुलिस सत्यापन रिपोर्ट एवं दो प्रतष्ठित व्यक्तियों की गवाही प्रस्तुत करेंगे।
 - उल्लेखनीय है कि वात्सल्य योजना को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2020-21 के बजट भाषण के दौरान लॉन्च किया था।